

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, April 26, 1977

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by clause (ff) of sub-section (2) of section 11 read with section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

**The Rajasthan Legislative Assembly Members
Pension Rules, 1977**

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Pension Rules, 1977.

(2) They shall be deemed to have come into force on 14th December, 1976.

2. Application for Pension.—An Application for the grant of pension under these rules shall be made by the person entitled to pension under the Act to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly in form No. 1:

Provided that—

- (i) in the case of lunacy of the person entitled to receive pension, the application may be made by the person appointed to manage the estate of the lunatic under the Indian Lunacy Act, 1912 ;
- (ii) in the case of death of the person entitled to pension under the Act, the application may be made by the person who has obtained succession certificate in respect of the arrears of pension, under the Indian Succession Act, 1925 or a certificate under the Administrators General Act, 1963.

(68)

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 1977

जी.एस.आर. 11 :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 4-क के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 है।

(2) ये 14 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. पेंशन के लिए आवेदन-पत्र :- उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी हेतु आवेदन-पत्र प्रारूप-1 में राजस्थान विधान सभा के सचिव को दिया जायेगा, परन्तु :-

- (i) पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के पागल होने की दशा में आवेदन पत्र, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन पागल की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा।
- (ii) उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त आवेदन-पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने पेंशन के बकाया की बाबत भारतीय उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र या महाप्रशासक अधिनियम, 1963 के अधीन प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो।

3. Scrutiny of application and issue of pension payment order.—

(1) On receipt of an application for the grant of pension under these rules, the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly shall determine, after such verification as he deems necessary, the eligibility or otherwise for the grant of pension to the person claiming pension under the Act.

(2) In case a person in respect of whom the pension is claimed is found eligible to the grant of the same, a pension payment order shall be issued in favour of the applicant by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly in form No. 2.

3A. No dues Certificate.—(1) There shall be enclosed with an application for the grant of Pension, under rule 2, a No Dues Certificate to be obtained from the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.

(2) Pending issue of a No Dues Certificate required under sub-rule (1) above, the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly may provisionally grant an amount not exceeding 75% of the pension :

Provided that the Government dues outstanding against a member shall be recoverable from his pension but the amount of such recovery shall not exceed 1/3 of pension.

4. Mode of payment of pension.—(1) The first payment of pension and subsequent payments of pension for the months of May and November every year shall be subject to the production (in respect of the person entitled to pension under the Act) of a declaration in form No. III.

(2) The pension payment order shall be prepared in triplicate and the first copy shall be delivered to the applicant and the second shall be sent to the Public Sector Bank Branch approved by the State Government or to the Treasury Officer from which the applicant has desired to draw his pension. A copy thereof shall be retained for record.

(69)

3. आवेदन-पत्र की संवीक्षा और पेंशन भुगतान आदेश जारी करना :- (1) इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा, ऐसे सत्यापन के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति को पेंशन मंजूर करने के लिए उसकी पात्रता या अपात्रता अवधारित करेगा।

(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत पेंशन का दावा किया गया है, पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र पाया जाये तो सचिव, राजस्थान विधान सभा, प्रारूप संख्या-2 में आवेदक के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।

3-क अदेयता प्रमाण पत्र :- (1) नियम 2 के अधीन पेंशन की मंजूरी के आवेदन-पत्र के साथ राजस्थान विधान सभा के सचिव से प्राप्य एक अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र जारी होने तक, सचिव राजस्थान विधान सभा पेंशन के 75 प्रतिशत से अनधिक रकम अन्तिम रूप से मंजूर कर सकेगा :

परन्तु किसी सदस्य के विरुद्ध बकाया सरकारी देयता उसकी पेंशन से वसूली योग्य होगी किन्तु ऐसी वसूली की रकम पेंशन के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी।

4. पेंशन के भुगतान की रीति :-पेंशन का प्रथम भुगतान और प्रति वर्ष मई और नवम्बर महीनों के लिए उत्तरवर्ती भुगतान (अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की बाबत) प्रारूप सं.-3 में एक घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगा।

(2) पेंशन भुगतान आदेश तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा और प्रथम प्रति आवेदक को दी जायेगी तथा द्वितीय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा को या उस कोषाधिकारी को, जिससे आवेदक ने अपनी पेंशन लेना चाहा है, भेजी जायेगी। उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखी जायेगी।

(3) (i) The payment of pension under these rules shall be made to the person in whose favour pension payment order is issued either at a Treasury in the State or through the Public Sector Bank at his option. The payment of pension under these rules through the Public Sector Bank shall be made in accordance with scheme for payment of pension through Public Sector Banks applicable to State pensioners as and when it is introduced.

(ii) When payment of pension is desired at a Treasury in the State, the Treasury half of the Pension payment order shall be sent to the Treasury Officer concerned by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and the payment of pension shall along with a pension bill in the form given in Form IV. The record of payment of pension made shall be kept on the reverse portion of the pension payment order and entries shall be made in both the halves of the pension payment order in token of payment having been made under the attestation of the Treasury Officer.

(4) If the person entitled to pension (under the Act and the rules) is elected or appointed to any office or post or becomes entitled to any salary, remuneration or pension, he shall inform the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and the pension disbursing Bank within one month of such election, appointment or entitlement as the case may be.

(5) A Register of all the pension payment orders shall be maintained by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly recording the particulars of pension payment order issued, cancelled or revised.

(5) Issue of Revised Pension Payment Order.—The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, on being satisfied that the revision of the Pension Payment Order issued under rule 3 is necessary, may, suo-motu or otherwise, issue Revised Pension Payment Order from time to time as to conform to the provision of the Act and rules and upon the issue of a Revised Pension Payment Order the previous Pension Payment Order in force shall cease to be effective:

(70)

(3) (i) उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया है, उसे इन नियमों के अधीन पेंशन का भुगतान उसके विकल्प पर या तो राज्य में किसी खजाने पर या सरकारी क्षेत्र के बैंक के मार्फत किया जायेगा। इन नियमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक की मार्फत पेंशन का भुगतान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मार्फत पेंशन के भुगतान के लिए राज्य के पेंशन पाने वालों को लागू स्कीम के अनुसार, जब कभी ऐसी स्कीम आरम्भ की जाय, किया जायेगा।

(ii) जबकि पेंशन का भुगतान राज्य में किसी खजाने पर चाहा जाय तो सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा पेंशन भुगतान आदेश का खजाने वाला आधा भाग सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेजा जायेगा और इस व्यक्ति को पेंशन का भुगतान प्रारूप 4 में दिये गये प्रारूप में पेंशन बिल सहित भुगतान आदेश प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। दी गई पेंशन के संदाय का अभिलेख पेंशन भुगतान आदेश के पृष्ठ भाग पर रखा जायेगा और दिये गये भुगतान के प्रमाणस्वरूप प्रविष्टियां, कोषाधिकारी के अनुप्रमाणन के अधीन पेंशन भुगतान के दोनों द्विभागों पर की जायेगी।

(4) यदि (अधिनियम और नियमों के अधीन) पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी पद पर चुना या नियुक्त किया जाता है, या किसी वेतन, पारिश्रमिक या पेंशन का हकदार हो जाता है तो वह इस प्रकार चुने जाने नियुक्त होने या हकदार होने की बाबत, यथास्थिति, सचिव, राजस्थान विधान सभा और पेंशन वितरण करने वाले बैंक को एक माह के भीतर सूचित करेगा।

(5) सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा समस्त पेंशन भुगतान आदेशों का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें जारी, रद्द संशोधित किये गये पेंशन भुगतान आदेशों की विशिष्टियां अभिलिखित की जायेंगी।

5. पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी करना :-सचिव, राजस्थान विधान सभा को यह समाधान हो जाने पर कि नियम 3 के अधीन जारी किये गये पेंशन भुगतान आदेश का पुनरीक्षण आवश्यक है, उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुरूप लाने हेतु समय-समय पर, स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी कर सकेगा और पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने पर प्रवर्तन प्रवृत्त पेंशन भुगतान आदेश प्रभावी नहीं रहेगा :

(71)

Provided that the amount of pension shall not be reduced or cancelled without issuing a show cause notice and affording an opportunity to the person concerned for making his representation within a time to be fixed by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.

6. Cessation of pension on death.—On the death of the person entitled to pension under the Act, the payment of pension shall cease forthwith and the Pension Payment Order, in force for the time being, shall be returned by the person in possession thereof to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly with a declaration of death of the person who was entitled to pension under the Act.

[No. F.7(1) Sansad/77]

By Order of the Governor,

Ranvir Sahay Verma

Secretary to the Government.

(71)

परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिए बिना तथा सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नीयत किये जाने वाले समय के भीतर अपना अभ्यावेदन करने के लिए एक अवसर दिये बिना पेंशन की रकम में कमी नहीं की जायेगी या उसे रद्द नहीं किया जायेगा।

6. मृत्यु हो जाने पर पेंशन बंद होना :- उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पेंशन का भुगतान तुरन्त बन्द हो जायेगा और तत्समय प्रवृत्त पेंशन भुगतान आदेश जिस व्यक्ति के कब्जे में हो उसके द्वारा सचिव, राजस्थान विधान सभा को उस व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा के साथ लौटा दिया जायेगा, जो उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार था।

[संख्या प.7(1) संसद/77]

राज्यपाल के आदेश से,

रणवीर सहाय वर्मा

शासन सचिव।

(72)

(Form-1)

Application For Pension

[See section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly
(Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956]

From

Shri/Shrimati/Kumari under the proviso
to rule 2, Ex-members of Rajasthan Legislative Assembly (Members of
Lok Sabha/Rajya Sabha/Provisional Parliament (here mention House in
which last served).....

To,

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Subject :— Sanction of pension under the Rajasthan Legislative
Assembly (Officers and Members Emoluments and
Pension) Act, 1956.

Sir,

In terms of Section 4-A of the above mentioned Act, I am entitled
to get pension in respect of the following periods served by me as a
Member of.....

- (1) Member of Rajasthan Legislative Assembly
from.....to.....
- (2) Former State of Ajmer Legislative Assembly
from.....to.....
- (3) Member of Rajya Sabha
from.....to.....
- (4) Member of Lok Sabha
from.....to.....

It is requested that steps may kindly be taken to sanction pension
to me, Shri/Shrimati/Kumari.....
I desire to draw my pension from Public Sector Bank, Branch
at.....

(72)

प्ररूप-1

पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

[देखिये राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन)
अधिनियम, 1956 की धारा 4-क]

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी.....नियम (2) के
परन्तुक के अन्तर्गत भूतपूर्व राजस्थान विधान सभा सदस्य/सदस्य लोक-सभा/राज्य
सभा/अस्थाई संसद (यहां यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार किस सभा के सदस्य थे)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सेवा में,

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं
पेंशन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेंशन मंजूर की जाना।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित अवधि
में.....का सदस्य रहने के कारण, पेंशन पाने का हक है :-

- (1) राजस्थान विधान सभा का सदस्य.....से.....तक
- (2) भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा.....से.....तक
- (3) राज्य सभा का सदस्य.....से.....तक
- (4) लोक सभा का सदस्य.....से.....तक

2. अनुरोध है कि मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी.....को
पेंशन मंजूर किये जाने के बारे में कार्यवाही की जाय मैं.....
अपनी पेंशन पब्लिक सैक्टर बैंक ब्रांच.....कोषागार.....से
लेना चाहता हूं/चाहती हूं।

3. I enclose herewith the following documents duly attested by a 1st Class Magistrate/Class I Officer belonging to the Central Government or a State Government or a sitting member of Parliament/Rajasthan Legislative Assembly :—

- (i) Three specimen signatures.
- (ii) Three latest copies of photograph of passport size.

4. My present Address.....

.....

My permanent address.....

.....

5. I hereby declare that :—

- (i) I am not holding the elected office of the President or the Vice-President or the Office of the Governor of any State or the Administrator of any Union Territory;
- (ii) I am not a member of the council of State (Rajya Sabha) or House of the People (Lok Sabha) or any Legislative Assembly of State or Union Territory or any Legislative Council of a State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of Delhi Administration Act, 1966;
- (iii) I am not employed on a salary under the Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I am not otherwise entitled to get any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority;
- (iv) I am not in receipt of pension from any Political/Military/Civil Services;

(73)

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद/राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ :-

(1) तीन नमूना हस्ताक्षर।

(2) पासपोर्ट साइज के तीन नवीनतम फोटो।

4. मेरा वर्तमान पता.....

.....

मेरा स्थायी पता.....

.....

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(1) मैं.....राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के चुने हुए मद अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ।

(2) मैं.....राज्य सभा अथवा लोक सभा अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् अथवा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ।

(3) मैं.....केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हूँ अथवा मुझे ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राइज़ से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्य किसी प्रकार का कोई हक नहीं है।

(4) मैं.....कोई राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

(v) I am holding the office of the.....or Member of.....or employed as..... in.....and the total remuneration received by me is Rs.....P.M. (A certificate from the competent authority to be attached);

(vi) I am in receipt of Rs.....as Political/Military/Civil pension being drawn from.....(A certificate from the competent authority to be attached)

NAME IN BLOCK LETTERS

Yours faithfully

.....

()

Place :

Date :

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

Certified that Shri/Shrimati/Kumari.....

(IN BLOCK LETTERS)

served as a member of Rajasthan Legislative Assembly during the following period :—

From.....to.....

From.....to.....

From.....to.....

*Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly
Secretariat.*

(74)

(5) मैं.....के पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ/
अथवा.....का/की सदस्य हूँ।

(6) मुझको.....से
राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन के रूप में.....रुपये
प्राप्त होते हैं।

(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

नाम साफ-साफ बड़े अक्षरों में

भवदीय

.....

स्थान.....

(हस्ताक्षर)

दिनांक.....

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

(साफ-साफ बड़े अक्षरों में)

निम्नलिखित अवधि में राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

सचिव,

राजस्थान विधान सभा सचिवालय।

Certified that Shri/Smt./Kumari.....

(IN BLOCK LETTERS)

served as a member of the Lok Sabha during the following period:—

From.....to.....

From.....to.....

From.....to.....

From.....to.....

*Senior Table Officer,
Lok Sabha Secretariat.*

Certified that Shri/Smt./Kumari.....

(IN BLOCK LETTERS)

served as a member of the Rajya Sabha during the following period:—

From.....to.....

From.....to.....

From.....to.....

From.....to.....

*Senior Table Officer,
Rajya Sabha Secretariat.*

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

No..... Jaipur, dated the.....

Till further notice, and on the expiry of every month, be pleased to pay to Shri/Smt./Kumari..... the sum of Rs.....being the amount of pension under proviso to Section (2) of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 as amended, as per details given below :—

Pension due under Section-4 (a) Rs.....

Less : remuneration/pension Rs.....

Net pension payable Rs.....

The payment should commence from.....

and payment be made upto.....

Signature.....

Designation.....

(75)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....(साफ-
साफ बड़े अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक
.....से.....तक
.....से.....तक
.....से.....तक

सीनियर टेबल आफिसर,
लोक सभा सचिवालय।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....(साफ-
साफ बड़े अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक
.....से.....तक
.....से.....तक
.....से.....तक

सीनियर टेबल आफिसर,
राज्य सभा सचिवालय।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या जयपुर, दिनांक.....20

अगला आदेश होने तक और प्रत्येक महीने की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को नियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत.....रुपये
की धनराशि का भुगतान करें, जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की
परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 संशोधित, के अधीन पेंशन की राशि है और
जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 4-क के अधीन देय पेंशन रुपये.....

अधिनियम की धारा 4-क(ख) के अधीन प्राप्त

हो रही पारिश्रमिक/पेंशन की राशि घटाइये रुपये.....

देय पेंशन की शुद्ध राशि रुपये.....

दिनांक.....से भुगतान आरम्भ होना चाहिये तथा तारीख.....

तक का भुगतान किया जावे।

(हस्ताक्षर).....

पदनाम.....

(76)

(FORM-2)
Pension Payment Order
Disburser's Portion

Debitable to State Government :—

Head of account :—

Major head :—

Minor head :—

VOTED

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Name of the Pensioner.....
[under proviso of rule (2)]2. Residential address.....3. Village and Tehsil & Distt.....4. Distinguishing mark (Mark of Identification) of the Pensioner.....5. Class of pension-Pension under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers & Members Emoluments and Pension) Act, 1956, as amended.6. Amount of monthly pension Rs.....(Rupees in words) | <p>PHOTOGRAPH of the
Ex-MLA duly attested by
Competent Officer</p> |
|--|--|

Signature of Pensioner

7. Date of commencement from.....to.....
payment may be made.
8. Office and place of payment.....

Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Date.....

Place.....

(76)

प्ररूप-2

**पेंशन भुगतान आदेश
(राशि वितरणकर्ता के लिए)**

राज्य सरकार के विकलनीय :-
खाते का शीर्ष :-

प्रमुख शीर्ष :-
लघु शीर्ष :-

दत्तमत

1. पेंशन पाने वाले का नाम.....
नियम (2) परन्तुक के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति
का नाम.....
 2. निवास स्थान का पता.....
 3. गांव एवं तहसील व जिला सहित.....
 4. पेंशन पाने वाले का पहचान चिन्ह.....
 5. पेंशन की श्रेणी-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 संशोधित के अधीन पेंशन
 6. मासिक पेंशन की राशि रुपये.....(अंकों) में
.....रुपये (शब्दों में)।
- भूतपूर्व विधायक के हस्ताक्षर**
7. प्रारम्भ होने की तारीख.....से तारीख.....तक
का भुगतान किया जावे।
 8. भुगतान का कार्यालय और स्थान.....
मोहर
- दिनांक.....
स्थान.....
- सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

फोटोग्राफ
सक्षम अधिकारी द्वारा
सत्यापित
भूतपूर्व विधायक

(77)

Amount of pension Rs.....(Rupees in words) every separate payment is to be recorded below by the Disbursing Officer.

Month for which pension is due	19	19	19	19
	Date of payment	Disbursing Officer	Date of Payment	Disbursing Officer (Signature)

- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- January
- February

Date :

Place :

Signature.....

Address.....

.....

.....

(77)

पेंशन की राशि रूपये.....(शब्दों में)
राशि वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान को नीचे रिकार्ड किया जाना है।

महीना जिसके लिए पेंशन देय है	19	19	19	19
	भुगतान की तारीख	राशि वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान की तारीख	राशि वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मार्च

अप्रैल

मई

जून

जुलाई

अगस्त

सितम्बर

अक्टूबर

नवम्बर

दिसम्बर

जनवरी

फरवरी

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

पता.....

.....

.....

(78)

[FORM-3]

Declaration

(To be furnished by ex-member of Rajasthan Legislative Assembly with his first pension bill and thereafter twice a year i.e. in the months of May and November)

I declared that : —

1. Since 14.12.1976 or.....(here in case of second and subsequent declaration mention the date of the last declaration), I.....had been elected/nominated/appointed as.....from.....to.....on a remuneration/salary of Rs.....p.m.

2. I.....am/was not elected in the office of the President/Vice President or appointed to the office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory, or

3. I.....am/was not a member of Council of States (Rajya Sabha) or House of the People (Lok Sabha) or any Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of Delhi Administration Act, 1966; or

4. I.....am/was not employed on salary under the Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I.....am/was not otherwise entitled to any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority; or

5. I.....am/was not in receipt of any pension from Central Government/State Government or any Local Authority Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government.

(78)

प्ररूप-3

घोषणा

(नियम-2 के परन्तुक के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने प्रथम तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो दफा अर्थात् मई और नवम्बर के माह में पेंशन बिल के साथ लगाने के लिये)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

मैं.....दिनांक 14.12.1976
या.....(द्वितीय या पश्चातवर्ती घोषणाओं की दशाओं में
यहां अन्तिम घोषणा की तारीख लिखें) से.....रूपये प्रति माह के पारिश्रमिक/
वेतन पर.....से.....तक.....के रूप में
निर्वाचित/नाम निर्दिष्ट/नियुक्त हुआ/हुई हूँ।

2. मैं.....राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति
के पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य-क्षेत्र के
प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ, अथवा

3. मैं.....राज्य सभा या लोक सभा
या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम,
1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य/सदस्या नहीं हूँ,
अथवा

4. मैं.....केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य
सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ।
अथवा मैं.....ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण
से पारिश्रमिक पाने का/की अन्यथा रूप से हकदार नहीं हूँ, अथवा

5. मैं.....केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार केन्द्रीय या
राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से कोई पेंशन प्राप्त नहीं
करता/करती हूँ।

(79)

OR

(i) I.....am/was holding the office of.....
.....or member of.....or employed
as.....in.....and the total
remuneration received by me is Rs.....

(ii) I.....am/was in receipt of Rs.....
as pension drawing from.....Station.....

Signature.....

Date :

Address.....

.....

(79)

अथवा

(i) मैं.....के पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ अथवा.....का सदस्य हूँ अथवा.....में.....के रूप में नियुक्त हूँ और मुझे.....रुपये प्रति माह कुल पारिश्रमिक मिलता है।

(ii) मैं.....स्थान.....से पेंशन के रूप में.....रुपये प्राप्त करता हूँ/करती हूँ।

.....
हस्ताक्षर

पता.....

दिनांक.....

.....
.....

(80)

FORM-4
Government of Rajasthan
Pension Bill

Not exceeding Rs.....p.m.

FAMILY

Pension Payment Order No.....

Memo : It is requested that the form may be used for submission of next bill.

District	Head of Account	Voucher No.....of
		list of payment for.....
		20.....

Received the amount of pension due to me for the month of 20.....as.....

Less : Income Tax.....

Net Rs.....(Rupees in words.....)

Place.....

Dated.....

Pensioner's residential address.....

.....Received Payment

Stamp

Pensioner

Identified by me

Signature

Designation or address

Certificate to be given in case of non-attendance in person (except in case in which such certificates are not required under any rule or order),

Certified that I have seen the Pensioner, that he/she is alive on this date and that the bill has been signed by him/her.

Date.....

Name.....

Designation.....

(80)

प्ररूप-4

राजस्थान सरकार

पेंशन बिल

.....रुपये प्रति माह से अनधिक

पारिवारिक

पेंशन भुगतान आदेश संख्या.....दिनांक.....

ज्ञापन :- निवेदन है कि इस प्ररूप का उपयोग अगला बिल प्रेषित करने के लिये किया जाय।

जिला	लेखा-मद	वर्ष 20.....माह.....के लिये भुगतानों की सूची की वाउचर संख्या.....
------	---------	--

माह.....20 की मुझे देय पेंशन प्राप्त हुई।

रकम.....रुपये.....

आयकर कटौती.....रुपये

शुद्ध रकम.....रुपये

रुपये (शब्दों में).....

स्थान.....

तारीख.....

पेंशन भोगी का	पेंशन भोगी को	भुगतान वसूल पाया
पद या पता	में पहचानता हूं	टिकट
	पेंशन भोगी	

हस्ताक्षर

स्वयं उपस्थित न होने के लिये दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र (सिवाय इसके कि जहां किसी निगम या आदेश के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र आवश्यक न हों)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी को देखा है कि वह आज दिन तक जीवित है और यह कि उसने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

नाम.....

तारीख..... पदनाम.....

Endorsement to be signed by the Pensioner

Please pay to.....

Rs.....

Pensioner

For use in Treasury

.....Bank/Treasury pay Rupees.....

(In words).....

Incorporated in Account.....

Accountant

Dated

Treasury or Sub-Treasury Officer

Payee's Receipt

Received Payment

Signature of Messenger or Agent

Identified by me

Signature.....

Designation/Address.....

.....

.....

For Bank/Treasury

Paid Rupees.....(in words).....

Bank/Treasury

For use in the office of R.L.A.

Admitted Rs.....(in words)

Objects to Rupees.....

Auditor

Superintendent

Secretary,

[No. F.7(1)Sansad/77]

By Order of the Governor,

Ranvir Sahay Verma

Secretary to the Government.

(81)

पेंशन भोगी द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला पृष्ठांकन

कृपया.....को भुगतान करें।

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी

कोषागार के उपयोग हेतु

.....बैंक/कोषागार।

(शब्दों में).....रुपये का भुगतान करें।

.....लेखे में निर्गमित किया गया।

लेखाकार

तारीख.....कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी

प्राप्तकर्ता की रसीद

भुगतान प्राप्त किया।

संदेशवाहक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैंने पहचाना है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम या पता.....

.....

.....

बैंक/कोषागार के लिये

.....रुपये (शब्दों में).....का भुगतान किया गया।

बैंक/कोषपाल

राजस्थान विधान सभा कार्यालय के उपयोग हेतु

.....रुपये स्वीकार किये गये।

.....रुपये पर आक्षेप किया गया।

संपरीक्षक

अधीक्षक

सचिव

[संख्या प.7(1) संसद/77]

आदेश से,

रणवीर सहाय वर्मा

शासन सचिव।